भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 701

उत्‍तर देने की तारीख : 27 जुलाई, 2015

**केन्द्रीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और विद्यालय विकास निधि के लिए शुल्क**

**701. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः**

**श्रीमती कनक लता सिंहः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा प्रथम से 12वीं तक के बच्चों से कंप्यूटर शिक्षा और विद्यालय विकास निधि के नाम पर भारी भरकम फीस ली जाती है और विगत पांच वर्षों में इन मदों में ली गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रथम कक्षा का विद्यार्थी कंम्प्यूटर शिक्षा ग्रहण कर सकता है;

(ग) क्या इस संबंध में अध्ययन करवाया गया है और क्या विद्यालय इन बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देता है, इसका मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शिक्षा शुल्क से इतर कंप्यूटर शिक्षा और विद्यालय विकास निधि के नाम पर ली जा रही है राशि क्या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क): केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) विद्यार्थियों से कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु कम्प्यूटर निधि के रूप में मामूली राशि ले रहे हैं। ये विद्यायलों के विकास के लिए विद्यालय विकास निधि (वीवीएन) की फीस भी ले रहे हैं। दिनांक 01.04.2013 से लागू, निम्नलिखित दरों से कम्प्यूटर निधि और वीवीएन लिए जा रहे हैः-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **कक्षा** | **कम्प्यूटर निधि** | **वीवीएन अंशदान** |
| I-II | शून्य | @ 500 रूपये प्रति माह |
| III-XII | 100 रूपये प्रति माह (वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस/इनफोर्मेटिक्स प्रैक्टिस चुनने के लिए कक्षा XI और XII के विद्यार्थियों से 150 रूपये प्रतिमाह कम्प्यूटर शुल्क लिया जाता है) |

पिछले 5 वर्षों के दौरान, कम्प्यूटर निधि और वीवीएन शीर्ष के तहत वसूली गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

**(रूपये करोड़ में)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| वर्ष | कम्प्यूटर निधि | वीवीएन |
| 2010-2011 | 47.36 | 311.64 |
| 2011-2012 | 48.45 | 318.35 |
| 2012-2013 | 52.01 | 323.75 |
| 2013-2014 | 104.14 | 633.19 |
| 2014-2015 | 107.12 | 646.37 |

(ख): कक्षा I और II के लिए कम्प्यूटर सहायता प्रदत्त शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा कक्षा III से आगे आईसीटी कौशल प्रदान करने अर्थात् कम्प्यूटर का प्रयोग करने के लिए कौशल विकास हेतु कक्षा-वार पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

(ग): केवीएस ने इस पहलु पर कोई अध्ययन आयोजित नहीं किया है।

(घ): जी, नहीं। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत, दाखिल विद्यार्थियों को कक्षा VIII तक सभी तरह के शुल्क और कम्प्यूटर शुल्क में छूट दी गई है।

\*\*\*\*\*